राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1705/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन–तृतीय, जयपुर। ...अपीलार्थी

बनाम

सरदार मल पुत्र रूडा राम,
ट्रक नंबर – RJ32-GA-4135
भगतपुर, विराटनगर, जयपुर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 08.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 254/अपील्स–I/आरवीएटी/एनआरडी/जयपुर/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2011 के अन्तर्गत धारा 76(9) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) (12), (13) के अन्तर्गत पारित आदेश में कायम मांग राशि रूपये 4,16,716/– को अपीलार्थी द्वारा विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.11.2011 को वाहन संख्या RJ32-GA-4135 को दादी के फाटक, सीकर रोड, जयपुर पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर के द्वारा चैक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री सरदारमल ने वाहन में लदे माल के संबध में मातेश्वरी रोड लाइन्स का चालान संख्या 840 दिनांक 11.11.2011 एवं इसमें इन्द्राज बिल्टियां संलग्न बिल पेश किये तथा जाहिर किया गया कि समस्त माल दिल्ली से जयपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण जांच अधिकारी वाहन को निरूद्ध कर धारा 76(5) के तहत वाहन चालक/माल प्रभारी के नाम नोटिस जारी कर बिलों की सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने व माल की भौतिक गणना करवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 15.11.2011 को वाहन चालक द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में माल का भौतिक सत्यापन एवं गणना कराई गई, लेकिन वास्तविक क्रेताओं को प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही बिलों की

लगातार.....2

सत्यता के प्रमाण प्रस्तुत किये। तत्पश्चात प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के पास स्थानांतरित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिनांक 23.11.2011 को वाहन चालक को धारा 76(6), (12), (13) के तहत माल प्रभारी के रूप में तथा माल की वास्तविक क्रेता–विक्रेता की जानकारी नहीं देने के कारण धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए, धारा 76(9) के तहत पृथक–पृथक दो कारण बताओं नोटिस जारी किये गये। नोटिसों के क्रम में प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर उन्हें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 68(3)(ए) के तहत प्रशमन आदेश राशि रूपये 3,47,263/– के लिए पारित किया गया। उसी दिनांक को धारा 76(9) के तहत पृथक कर निर्धारण आदेश पारित कर शास्ति रूपये 4,16,716/– का आरोपण किया गया जिसे इस अपील के द्वारा विवादित किया गया।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण दिनांक 28.11.2011 को धारा 76(6) के अपराध को प्रशमन किया जाकर रूपये 3,47,263/– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूल कर लिये गये है उसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब पर गौर किये बिना पुनः धारा 76(9) में शास्ति का आरोपण किया गया है। मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जवाब एवं प्रोद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रोद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत निम्न प्रकार से उद्धरित किये जा रहे हैं :–

माननीय कर बोर्ड ने **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स श्याम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर (2009) 23 टीयूडी 116** में यह मत प्रकट किया है कि अधिनियम की धारा 76(6) के अपराध का प्रशमन होने के बाद अधिनियम की धारा 76(11) में आरोपित शास्ति विधिक नहीं है। इसी प्रकार **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, सिरोही बनाम मित्तल कैरियर्स, बोर्डसर (2004) 08 टीयूडी 267** में कर बोर्ड ने कहा है कि माल पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् बनाए गए प्रकरण में प्रशमन राशि जमा करा दी जाती है, तो ट्रांसपोर्टर पर शास्ति आरोपणीय नहीं है।

4. उपरोक्त विधिक एवं प्रोद्धरित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में भी धारा 76(6) एवं 76(9) में एक ही नाम से पृथक–पृथक धाराओं में नोटिस जारी किये गये हैं तथा धारा 76(6) के अपराध के रूप में स्वीकार किया जाकर प्रकरण को कम्पाउण्ड करा लिया गया है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(9) में आरोपित शास्ति उचित प्रतीत नहीं होती है जिसको अपास्त कर अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश यथावत रखा जाता है।

5. फलतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य